विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
15 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2022 में जनपद-लखनऊ के तहसील-सदर के वार्ड-शंकरपुरवा, वार्ड-1 कल्याणपुर में रजिस्ट्रेशन संख्या-313220979622, 313220952423 का विधवा पेंशन हेतु आवेदन किया गया है ?	वर्ष 2022 में जनपद लखनऊ की तहसील-सदर के वार्ड-शंकरपुरवा, वार्ड-1 कल्याणपुर में रजिस्ट्रेशन संख्या-313220979622 पर श्रीमती गीता सैनी पत्नी स्व0 कैलाश सैनी का नाम दर्ज है, परन्तु पेंशन पोर्टल पर बैंक खाते का आई0एफ0एस0सी0 कोड गलत होने के कारण पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि का अन्तरण नहीं हुआ है। दिनांक-04.07.2023 को बैंक खाते का आई0एफ0एस0सी0 कोड जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय लखनऊ द्वारा सही कर पी0एफ0एम0एस0 पर प्रेषित किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 से पुनः सत्यापन हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय लखनऊ को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ द्वारा दिनांक-01.08.2023 को रिवेरीफाई किये जाने के उपरान्त श्रीमती गीता सैनी नियमानुसार पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हो गयी हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या-313220952423 वर्तमान स्थिति के अनुसार पोर्टल पर 'नो रिकार्ड फाउण्ड' दर्शा रहा है।
(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन की पेंशन धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गयी हैं?	जी नहीं।
(ग) यदि हाँ, तो कब ?	रजिस्ट्रेशन संख्या-313220952423 के अनुसार आवेदिका का पोर्टल पर 'नो रिकार्ड फाउण्ड' दर्शित होने के कारण आवेदिका के खाते में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि भेजा जाना संभव नहीं है। रजिस्ट्रेशन संख्या-313220979622 पर दर्ज श्रीमती गीता सैनी पत्नी स्व0 कैलाश सैनी दिनांक-01.08.2023 को नियमानुसार पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हैं। अतः तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए वर्ष 2023-24 के अन्तिम त्रैमास में पेंशन की धनराशि दी जायेगी।
(घ) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि लाभार्थियों के खाते में अभी तक न भेजे जाने के क्या कारण हैं?	उपरोक्तानुसार ।
(ङ.) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार ।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री